न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 113/2021

महेन्द्र सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
आवेदक

बनाम

1. अंजू पुत्री भागीरथसिंह जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. अनिता पुत्री भागीरथसिंह जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. करणीसिंह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. चिमनाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. नेमीचंद पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. मंजू पुत्री भागीरथसिंह जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. रूकमणी पत्नी भागीरथसिंह जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. रतनचंद पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. संजू पुत्री भागीरथसिंह जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
10. सुनिल पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
11. सीता देवी पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
12. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा निराधनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा जाबासर जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 04.10.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम शिवदयालपुरा पटवार हल्का ढ़ीलसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 115/107 रकबा 1.09 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदार की भूमि है। इसी प्रकार ख0न0 179/109, 180/109, 190/178, 191/178, 192/178, 192/178वाके ग्राम शिवदयालपुरा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की भूमि है। जिसमें से ख0न0 180/109 में से ख0न0 179/109 तक नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू ए से बी, बी से सी तक आता जाता रहा है। आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिये आवेदक को नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी, बी से सी तक 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जाना न्यायोंचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपने खेत ख0न0 115/107 में जाने के लिये नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी व बी से सी स्थान तक 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 14 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 14 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 288 दिनांक 14.08.2023 के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक गांगियासर की रिपोर्ट भिजवाई गई। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में ख0न0 115/107 रकबा 1.09 है0 भूमि में आने जाने हेतु चाहा गया रास्ता लघुतम है जिसकी लम्बाई 156 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर के हिसाब से रास्ते में जाने वाली कुल भूमि का रकबा 624 मीटर होगा। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है।

तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त होने व जवाब देही पूर्ण होने के बाद बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिये उक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिये इसके अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 12 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का आदेश दिया जावे। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग

को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ने अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं होने एवं चाहा गया रास्ता लघुतम होने से रास्ता दिया जाना उचित बताया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है वहां खातेदार के निवेदन पर नया रास्ता कायम किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक की खातेदारी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट से होती है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को ग्राम शिवदयालपुरा के खेत खसरा नम्बर 115/107 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 180/109 में से भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/10/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर